भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1289
09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सरकारी फिजियोथेरेपी क्लीनिक

1289. श्री कुलदीप राय शर्मा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न सरकारी अस्पतालों में कितने सरकारी फिजियोथेरेपी क्लीनिक कार्यशील हैं और इन अस्पतालों में कितने डॉक्टर कार्यरत हैं;
(ख) देश के विभिन्न केंद्र सरकार के अस्पतालों में सामान्य और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के विभिन्न ग्रेड के फिजियोथेरेपिस्ट के कितने पद स्वीकृत किए गए हैं;
(ग) क्या सरकार फिजियोथेरेपिस्ट के पदों को भरने में विफल रही है जिसके परिणामस्वरूप अस्पतालों में भारी भीड़ हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा पदों को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या सरकार ने फिजियोथेरेपी केंद्र चलाने के लिए कोई मानदंड और अर्हता तय की है;
(ङ) यदि हां, तो जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फिजियोथेरेपी क्लीनिक चलाने हेतु प्रमाणन की आवश्यकता से संबंधित ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार द्वारा देश के सरकारी अस्पतालों में फिजियोथेरेपी को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (च):- स्वास्थ्य राज्य का विषय है। सरकारी अस्पतालों में फिजियोथेरेपी को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना/नीति बनाना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है। उपचार करने वाले डॉक्टरों द्वारा किए गए मूल्यांकन की आवश्यकता के अनुसार मरीजों को उपयुक्त फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा फिजियोथेरेपी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। दिल्ली में कुछ केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में फिजियोथेरेपिस्ट की

स्वीकृत संख्या इस प्रकार है: -

पद का नाम:	**फिजियोथेरेपिस्ट के स्वीकृत पदों की संख्या**			
	सफदरजंग अस्पताल	**डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल**	**लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और सम्बद्ध अस्पताल**	**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली**
मुख्य फिजियोथेरेपिस्ट	01	01	00	3
उप/अधीक्षक फिजियोथेरेपिस्ट	03	01	01	7
वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट	08	03	01	7
फिजियोथेरेपिस्ट/ कनिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट	28	09	03	100

इन सभी पदों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्य और एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणियों में विभाजित किया गया है और फिजियोथेरेपी कैडर में रिक्त पदों को भर्ती नियमों (आरआर) के अनुसार नियमित रूप से भरा जाता है।

******